



# कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Email - gbvphardibazar@gmail.com, Web. - ggbchb.org, विशिष्ट कोड - 3109 Contact 94252 27782

क्रमांक

हरदीबाजार, दिनांक

## छात्रों की आचरण संहिता

- छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।
- विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
- महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय व्यवहार का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
- प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
- महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निव्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
- महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
- महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बाते लिखनासख्त मना है।
- विद्यार्थी असमाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
- वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दगलत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
- महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

(प्राचार्य)  
Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)





# कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Email - gbvphardibazar@gmail.com, Web. - ggbcgb.org, विशिष्ट कोड - 3109 Contact 94252 27782

क्रमांक /

हरदीबाजार, दिनांक / /

## Student Code of Conduct

Every student seeking admission in government college of Chhattisgarh will have to follow the rules of the college alphabetically. If they do not follow them, they will be part of the punitive action prescribed by the government.

- Student will come to college in decent costumes. Under no circumstances should her costumes be provocative.
- Each student will devote his full attention to studies, as well as provide full support to extra-curricular activities organized by the college.
- He will behave decently in the college campus, will not use abusive behavior, unparliamentary behavior, abuse, beaten or use his weapons.
- Every student will treat his teachers, officers and employees with kindness and gentleness.
- It is the moral duty of every student to keep the college clean, he / she will make a simple living and frugal life.
- Consumption of any kind of intoxicants will be strictly prohibited within the boundaries of college and hostel.
- It is forbidden to spit in the college, to spit walls or to write dirty talk.
- Strict action will be taken if the student is found involved in anti-social and criminal activities.
- He will not demonstrate his demands by spreading violence or terror. The student will keep himself away from the fraudulent politics and will not resort to political parties, activists or newspapers to persuade his demands.
- Mobile usage will be completely banned in the college campus.



  
Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)



# कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला - कोरवा (छ.ग.)

Email - gbvphardibazar@gmail.com, Web - ggbchb.org, विशिष्ट कोड - 3109 Contact 94252 27782

क्रमांक

हरदीबाजार, दिनांक

## महाविद्यालय के कर्मचारियों की आचार संहिता

- महाविद्यालय के प्रत्येक आधिकारी/कर्मचारीगण शासन द्वारा निर्धारित समयानुसार महाविद्यालय में उपस्थित होंगे।
- शासन द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों का पालन करें।
- महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारीगण अपने कार्यों द्वारा सभी छात्रों में मर्यादा को आवश्यक रूप से सम्मान व पहचान देंगे।
- अधिकारी कर्मचारी जहां कार्यरत है, विद्यार्थियों के लिए एक खुशहाल कार्यस्थल उपलब्ध कराना चाहिए।
- सभी कर्मचारीगण/अधिकारीगण अपने सर्वोच्च एवं मानको द्वारा व्यक्ति व समाज की भलाई का कार्य करेगा।
- नीतिगत निर्णय लेते समय मेरिट के आधार पर निर्णय लिए जायेंगे न कि व्यक्तिगत पसंद के आधार पर।
- महाविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी दूसरे व्यक्ति की गोपनीयता के सम्मान की वकालत करता है।
- प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारीगण को अपने कार्यों के लिए अनिवार्यरूप से उत्तरदायी होना चाहिए।
- महाविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारीगण को अपने संपत्ति की सार्वजनिक रूप से घोषणा करना चाहिए।
- महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारीगण को इन नियमों को बढ़ाने व समर्थन में नेतृत्व व उदाहरण के रूप में कार्य करना चाहिए।



(प्राचार्य)  
Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)





# कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Email - [gbvphardibazar@gmail.com](mailto:gbvphardibazar@gmail.com), Web. - [ggbchb.org](http://ggbchb.org), विशिष्ट कोड - 3109 Contact 94252 27782

क्रमांक /

हरदीबाजार, दिनांक / /

## Code of Conduct of College Employees

- Every Staff Of The College Will Necessarily Respect And Recognize Dignity In All Students Through Their Actions.
- Where The Officer Employee Is Working, A Happy Workplace Should Be Provided For The Students.
- All The Employees / Officers Will Work For The Good Of The Person And Society By Their Highest And Highest Standards.
- While Taking Policy Decisions, Decisions Will Be Taken On Merit And Not On Personal Preference.
- Every Officer / Employee Of The College Advocates Respecting The Privacy Of The Other Person.
- Every Officer / Employee Should Be Essentially Responsible For Their Work.
- Every Officer / Employee Of The College Should Declare Their Assets Publicly.
- Every College Employee / Officer Should Work As A Lead And Example In Enhancing And Supporting These Rules.



(Principal)

Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)



# कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय

हरदी बाजार, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Email - [gbvphardibazar@gmail.com](mailto:gbvphardibazar@gmail.com), Web. - [ggbchb.org](http://ggbchb.org), विशिष्ट कोड - 3109 Contact 94252 27782

क्रमांक

हरदीबाजार, दिनांक

## भूतपूर्व छात्र आचार संहिता

महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रो हम आपकी सेवा के लिए आभारी है। निम्नलिखित आचार संहिता यह सुनिश्चित करने में मदद करती है कि महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र स्वयं सेवक कार्यक्रम और घटना घटना के अनुभव से सभी प्रतिभागियों के लिए सार्थक, उत्पादक और सुरक्षित हो। महाविद्यालय के छात्रो को महाविद्यालय के प्रतिनिधित्व के रूप में देखता है इसलिए महाविद्यालय को भूतपूर्व छात्रो से अपेक्षा है कि निर्धारित आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें।

- महाविद्यालय भेदभाव संबंधी जैसे – जाति, रंग धर्म राष्ट्रीय मूल, लिंग, यौन अभिविन्यास, लिंग अभिव्यक्ति, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, आयु के आधार पर किसी भी व्यक्ति के विकलांग अपने समुदाय के किसी भी सदस्य द्वारा भेदभाव की अनुमति नहीं देता। अतः इसे सभी समाजों में पालन करने बाध्य किया जाता है।
- महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करते है। अतः किसी से व्यवहार को कार्यक्रम या महाविद्यालय के लक्ष्य और उद्देश्यों के साथ असंगत माना जाता है, या जो कोई भी महाविद्यालय की नीति का उल्लंघन करता है तो स्वयंसेवक सदस्य को अनिश्चितकाल के लिए हटा दिया जाता है।
- महाविद्यालय, एक ऐसा वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे हमारे समुदाय के सभी सदस्य सुरक्षित हो और किसी भी रूप में यौन कदाचार से मुक्त हो
- महाविद्यालय की गोपनीय जानकारी एवं गोपनीयता का प्र लिए किया जायेगा।
- महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र ऑनलाइन पोर्टल डेटाबेस, मैसेजिंग फक्शन, प्रोफाइल का उचित उपयोग करना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत जानकारी शामिल हो सकती है।
- महाविद्यालय किसी भी तरह के मादक पेय या नशीली पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करता है।
- महाविद्यालय नीजि वाहनों के उपयोग के लिए दायित्व नहीं रखता। आप अपने और अपने वाहन की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
- महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्र इस आचार संहिता से सहमत है। महाविद्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि इस आचार संहिता में संशोधन कर सके।



(प्राचार्य)  
Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt. - Korba (C.G.)



# कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Email - gbpvphardibazar@gmail.com, Web. - ggbchb.org, विशिष्ट कोड - 3109 Contact 94252 27782

क्रमांक /

हरदीबाजार, दिनांक / /

## Alumni Code of Conduct

We are grateful for your service to the alumni of the college. The following code of conduct helps to ensure that college alumni volunteer programs and events are meaningful, productive and safe for all participants from the experience of the event. The college students are seen as representing the college, so the college is expected of the alumni to strictly follow the prescribed code of conduct.

- The college does not allow discrimination on the basis of discrimination such as caste, color religion, national origin, gender, sexual orientation, gender expression, marital status, disability, age, any person with disability by any member of his / her community. Therefore, it is obliged to follow it in all societies.
- The alumni of the college represent the college. Therefore, any behavior is considered inconsistent with the goals and objectives of the program or college, or whoever violates the policy of the college, the volunteer member is removed indefinitely.
- The college is committed to promoting an environment in which all members of our community are protected and free from sexual misconduct in any form.
- Confidential information and confidentiality of the college will be used for the purposes of legitimate work as required.
- The college's alumni should use the online portal database, messaging functions, profiles appropriately, which may include personal information.
- The college prohibits the consumption of any type of alcoholic beverages or drugs.
- The college is not responsible for the use of private vehicles. You will be personally responsible for the safety of yourself and your vehicle.
- The alumni of the college agree with this code of conduct. The college reserves the right to amend this code of conduct.



(Principal)

Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt. Korba (C.G.)





# कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Email - gbvphardibazar@gmail.com, Web. - ggbchb.org, विशिष्ट कोड - 3109 Contact 94252 27782

क्रमांक

हरदीबाजार, दिनांक

## पालको की आचार संहिता

महाविद्यालय का उद्देश्य एक एकीकृत समुदाय को बढ़ावा देना है। अतः पालको को कुछ नीचे उल्लेखित आचरण संहिता का पालन करने की महाविद्यालय प्रशासन अपेक्षा करता है।

- पालको से अपेक्षा है कि वे अपने बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धि को बढ़ावा देने के लिए महाविद्यालय के साथ भागीदार बने।
- पालक अपने बच्चों के सीखने के समर्थन और प्राथमिकता के साथ महाविद्यालय द्वारा सौंपे गये कार्यों को पूर्ण करने प्रोत्साहित करें।
- पालक महाविद्यालय के कर्मचारियों के पेशेवर निर्णय का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी निभावे।
- महाविद्यालय प्रशासन पालको से अपेक्षा करता है कि वे महाविद्यालय तथा उसके कर्मचारियों के निर्णयों का समर्थन करें।
- पालको से अपेक्षा है कि महाविद्यालय के सदस्यों के साथ सभी इन्टरैक्शन में कानूनी और नैतिक तरीके से स्वयं को संचालित करे।
- पालको से अपेक्षा है कि जाती है कि वे महाविद्यालय के सभी संचारों को अच्छी तरीके से अवलोकन करें। यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने बच्चों से संबंधित सामान्य और विशिष्ट मामलों को समझ सकें।
- महाविद्यालय प्रशासन पालको की प्रतिक्रिया का स्वागत करता है जिसमें चिंताओं की अभिव्यक्ति भी शामिल है। यद्यपि इस तरह की प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूप से न हो।
- सुरक्षा और कानूनी कारणों से शराब, सिगरेट एवं अन्य नशीले पदार्थ तथा अश्लिल साहित्य आदि प्रतिबंधित है।
- व्यस्क सामग्री, हिंसक हथियार आदि प्रतिबंधित है।
- पालक अपने बच्चों के अतिरिक्त प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए खेल सामग्री, उपकरण, एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये।
- महाविद्यालय प्रशासन पालको से अपेक्षा करता है कि पालक अपने बच्चों को शैक्षणिकोत्तर गतिविधियों में भाग लेने प्रेरित करें।



(प्राचार्य)

Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)



# कार्यालय- प्राचार्य, शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदी बाजार, जिला - कोरबा (छ.ग.)

Email - gbvphardibazar@gmail.com, Web. - ggbchb.org, विशिष्ट कोड - 3109 Contact 94252 27782

क्रमांक

हरदीबाजार, दिनांक

## Guardian Code of Conduct

The college aims to promote an integrated community. Therefore, the college administration expects Guardian to follow some of the codes of conduct mentioned below.

- Guardian is expected to partner with the college to promote academic achievement of their children.
- Parents should encourage their children to complete the tasks assigned by the college with the support and priority of learning.
- Carry out the responsibility of evaluating the professional judgment of foster college employees.
- The college administration expects Guardian to support the decisions of the college and its employees.
- Guardian is expected to conduct itself in a legal and ethical manner in all interactions with the members of the college.
- Guardian is expected to observe all the communications of the college well. To ensure that they can understand the general and specific matters related to their children.
- The college administration welcomes Guardian response, including an expression of concern. Although such a response is not public.
- Alcohol, cigarettes and other drugs and pornography etc. are prohibited due to security and legal reasons.
- Adult content, violent weapons etc. are prohibited.
- Parents should provide sports equipment, equipment, and other resources to encourage extra efforts of their children.
- The college administration expects the parents to encourage their children to participate in post-graduate activities.



*[Handwritten Signature]*

Principal  
Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt. Korba (C.G.)




7.1.10

Rhar

Distt. Kurba

क्या है रैगिंग, कैसे बचें और क्या है



## इसके खिलाफ नियम और कानून, जानिए सब

हर साल कॉलेजों में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही नए छात्रों के खिलाफ रैगिंग की घटनाएं सामने आने लगती हैं। कभी-कभी रैगिंग इस कदर बढ़ जाती है कि कई छात्रों की जान तक पर बन आती है, जो कि गलत होने के साथ ही कानून अपराध है। यूजीसी द्वारा रैगिंग पर रोक लगाने के लिए कठोर नियम बनाए गए हैं जो सभी छात्रों और अभिभावकों को पता होना जरूरी है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं उन्ही **UGC Anti Ragging Rule** के बारे में...

व्यवहार में इन घटनाओं को रैगिंग माना जाता है

- अगर किसी कॉलेज, संस्थान या हॉस्टल में किसी स्टूडेंट (छात्र/छात्रा) को उसके गंरूप या पहनावे के आधार पर टिप्पणी की जाए जिससे उसके स्वाभिमान को ठेंस पहुंचे या अजीबोगरीब नाम लेकर पुकारकर प्रताड़ित किया तो उसे रैगिंग माना जाएगा।

- किसी भी स्टूडेंट को उसकी क्षेत्रीयता, भाषा, जाति के आधार पर अपमानजनक शब्द बोलकर पुकारना और प्रचलित करना रैगिंग माना जाएगा।

किसी भी स्टूडेंट की नस्ल या परिवास्कि अतीत या आर्थिक पृष्ठभूमि को लेकर लज्जित करना और उसका अपमान करना भी रैगिंग माना जाएगा।

नई छात्राओं को अजीबोगरीब नियमों के तहत परेशान करना या अपमानजनक कार्य करवाना भी रैगिंग माना जाएगा। किसी भी स्टूडेंट की धर्म, जाति या क्षेत्रीयता के आधार पर मजाक बनाना या अपमानजनक शब्द बोलना भी रैगिंग माना जाएगा।

रैगिंग के दोषियों को ये मिल सकता है दंड

- यदि कॉलेज रैगिंग की शिकायत करने वाले छात्रों की मदद नहीं करता है तो वो निसंकोच यूजीसी के पास जाएं और वहाँ से जरूर मदद मिलेगी।

- रैगिंग के दोषियों पर रैगिंग रेग्यूलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें दोषी को 3 साल तक सश्रम कैद है।

- अब किसी कॉलेज में रैगिंग कानून बड़ा अपराध है। रैगिंग का दोष साबित होने पर छात्र को सजा मिलने के साथ ही संबद्ध कॉलेज पर भी कार्रवाई के तौर पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

यदि आपका कॉलेज रैगिंग के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करे और उसमें दिए गए फोन नंबर पर कॉल करे - **National Anti Ragging Help Line ( UGC Crisis Hotline) 24x7 Toll Free Number -1800-180-5522**

[helpline@antiragging.in](mailto:helpline@antiragging.in)

## अनुशासन एवं रैगिंग नियंत्रण समिति

डॉ. आई.के.कौशिक  
9425548794  
7828060922

डॉ. शैलजा ठकुर  
9977249004  
9340290302

डॉ. क.के. दुबे  
9425547602  
7898586936

श्री अशोक मिश्रा  
9425537235  
8770232016



*Dr. A. K. Mishra*

Govt. G. B. Mahavidyalaya, Hardi Bazar, Distt. Kurba (C.G.)



## छात्र / छात्राओं के लिए आचरण संहिता

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए
2. महाविद्यालय परिसर / भवन में नियमित छात्र / छात्राओं को प्रवेश हेतु प्रतिदिन I-CARD अनिवार्य है तथा महाविद्यालयीन छात्रों के लिए प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा। अभद्र व्यवहार असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली-गलौच, मारपीट व अनय आन्वय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
5. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता व भद्रता का व्यवहार करेगा।
6. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाएँ रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है। वह सरल निर्व्यमनी और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
7. महाविद्यालय में इधर-उधर घुमना दिवालों को गंद करना, गंदी बातें लिखना सक्त मना है। विद्यार्थी असामाजिक व अपराधिक गतिविधियों में संलग्न पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन वर्जित रहेगा।
9. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आन्दोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा। अपनी मांगों को मनवाने हेतु राजनीतिक दलों कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
10. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा।

आदेशानुसार

प्राचार्य

शासकीय ग्राम्यभारती महाविद्यालय  
हरदीबाजार, कोरबा.



Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Dist. Korba (C.G.)



## कार्यालय प्राचार्य, ग्राम्य भारती विद्यापीठ हरवीबाजार, जिला-कोरबा (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत महाविद्यालय  
द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा एवं निर्धारित समय सीमा

पदाभिहित अधिकारी का नाम :- डॉ. टी.जी. वैष्णव, प्राचार्य ग्राम्य भारती विद्यापीठ, हरवीबाजार

कार्यालय/विभाग/ अधिकार्य का नाम	छ.ग. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 हेतु सेवा को प्रदाय की जाती है	सेवा प्रदाय करने की समय सीमा (कार्य दिवस)	सेवा प्रदाय करने वाले पदाभिहित प्राधिकारी (पद)	सहाय अधिकारी	अपीलीय प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6
समस्त प्राचार्य, ग्राम्य भारती महाविद्यालय (छात्रों से संबंधित)	सभी प्रकार के रिफंड भुगतान	15 दिन	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	महाविद्यालय में प्रवेश के आवेदनों का निपटारा	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	अ. छात्रवृत्ति स्वीकृति	30 दिन के भीतर	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	ब. छात्रवृत्ति भुगतान	15 दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	पुस्तकों का प्रदाय	15 दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	7 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	परिचय पत्र जारी करना	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	छात्रावास में प्रवेश	15 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त
	मार्कशीट, चरित्र	30 कार्य दिवस	प्राचार्य	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त

### नियम 16 के तहत

- |  |  |
|--|--|
| 01. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम पदनाम एवं कक्ष | 01. डॉ. टी.एल. पटेल, प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र) प्राधिकृत अधिकारी                |
| 02. अपील प्राप्त करने के लिये समय सीमा   | 02. श्री पन्नालाल सोन, लेखापाल, प्राधिकृत कर्मचारी कक्ष-महाविद्यालय कार्यालय भवन |
|  | समक्ष अधिकारी के विनिरचय से 30 दिवस के भीतर                                      |

SAMPLE



*[Signature]*

Principal

Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Dist. - Korba (C.G.)



Govt. Gramya Bharati Mahavidyalaya  
Hardibazar, Distt. Korba (C.G.)

# Help Desk

**क्या मैं आपकी**

**सहायता कर सकता हूँ ?**

शासकीय ग्राम्य भारती महाविद्यालय हरदीबाजार

जिला - कोरबा (छ.ग.)

SAMPLE



A handwritten signature in black ink, appearing to read "D. Desai".

Principal  
Govt. Gramya Bharati College  
Hardi Bazar, Distt.- Korba (C.G.)